न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 168/2021

उनवान

(1) नटवरलाल पिता धुलजी दर्जी जाति दर्जी निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) नरेन्द्र पिता धुलजी दर्जी जाति दर्जी निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) छगनलाल पिता धुलजी दर्जी जाति दर्जी निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) अम्बालाल पिता धुलजी दर्जी जाति दर्जी निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) कालिदास पिता धुलजी दर्जी जाति दर्जी निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) तहसीलदार गढ़ी जिला बॉसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 22.3.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा इस आशय का वाद पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 392, 393, 453/1, 453/2 कुल रकबा 0.26 एयर वाके गांव भगोरा तहसील गढी में स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री धुलजी पिता कचरू के नाम संवत 2047 में दर्ज रिकार्ड होकर इस भूमि के मूल स्वामी श्री धुलजी थे जिनकी मृत्यु पश्चात् वादीगण 01 से 04 एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त उत्तराधिकारी हुए । प्रतिवादी संख्या 01 बडा भाई होने से पिता श्री धुलजी की मृत्यु के पश्चात सभी कार्य उसके पास होने से प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण की जानकारी में लाये बिना अपना नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जबकि मौके पर वास्तविक स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का अपने अपने हिस्से पर कब्जा कायम है तथा काश्त कर रहे है। उक्त भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर वादीगण को सह खातेदार घोषित किये जाने हेतू वाद पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की वंशावली निम्नानुसार हैं:—

धुलजी

कालिदास	नटवरलाल	नरेन्द्र	छगनलाल	अम्बालाल

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री जितेन्द्र भट्ट अभिभाषक का वकालत नामा पेश होकर राजीनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बयान में वादीगण द्वारा लाया गया दावा स्विकार करते हुए [illegible] नम्बर के कुल रकबा 26 एयर भूमि हमारी पैतृक है जो वादीगण एवं प्रतिवादी [illegible] धुलजी के नाम दर्ज रेकार्ड थी हमारे पिताजी धुलजी ने अपने जीवन काल में ही [illegible] पैतृक भूमि हम 05 भाईयों में बराबर हिस्से में बाट दी थी धुलजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कामियों की गलती [illegible] रेकार्ड में मेरे अकेले के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई जो [illegible] है एवं मेरे 04 भाईयों का [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना उचित है के अपने बयान दिये एवं वादी संख्या 01 द्वारा अपने बयान में उक्त वाद ग्रस्त भूमि पैतृक होकर उनके पिता श्री धुलजी पिता कचरू की थी पिता के जीवन काल में ही

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद ग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 में बराबर रूपसे बाट दी गई थी पिता की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों की गलतियों से उक्त भूमि हमारे बड़ें भाई श्री कालिदास के नाम दर्ज रेकार्ड हुई वर्तमान में हम सब भाई अपने अपने हिस्से की भूमि काबिज होकर इसका उपयोग करते आ रहे है राजस्व लापरवाही से हुई गलती को सुधारते हुए शेष 04 भाईयों का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के अपने बयान दिए जाकर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत वाद–पत्र एंव संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में किस्म–आबादी दर्ज रिकार्ड है। आबादी भूमि के विवाद के क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा लागू नही होने तथा उक्त वाद का क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय का नही होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध वादीगण निर्णित किया जाता है।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वाद–पत्र एंव संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में किस्म–आबादी दर्ज रिकार्ड है। आबादी भूमि के विवाद के क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा लागू नही होने तथा उक्त वाद का क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय का नही होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध वादीगण निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner